सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 1975

पौष 27, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 227/सत्रह–वि–1––74-74

लखनऊ, 17 जनवरी, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 14 जनवरी, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) "यह धारा और धारा 9 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष धारायें 8 जून, 1973 से प्रवृत्त हुयीं समझी जायेंगी।"

घोषणा

2––एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिए है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 की धारा 3 का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,--

(क) खण्ड 11 में, शब्द "नियत रीति से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 4-क में निर्धारित रीति से" रख दिए जाएं।

(ख) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"(11-क) 'वयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो, तथा 'अवयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क न हो।"

(ग) खण्ड 17 में शब्द "किन्तु" के पश्चात् शब्द तथा अंक "सिवाय अध्याय 3 के" बढ़ा दिए जाएं।

(घ) खण्ड (18) में, शब्द "सिंचित भूमि या बाग भूमि" के स्थान पर शब्द "सिंचित भूमि, बाग भूमि या ऊसर भूमि" रख दिए जाएं।

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (2) में,--

(क) शब्द "किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी एक फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" रख दिये जाएं।

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण--खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ पद 'एकल फसल वाली भूमि' का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगायी जा सके।"

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"4-क--नियत प्राधिकारी वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली के संगत खसरों, गांव के नवीनतम नक्शों तथा ऐसे अन्य अभिलेखों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहां वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी को यह राय हो कि--

सिंचित भूमि का अवधारण

प्रथमतः--(क) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के सम्बन्ध में--

(1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 1579/डब्लू 23-62 डब्लू-1946, दिनांक 31 मार्च, 1953 में अधिसूचित सिंचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा या;

(2) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(3) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा,

किसी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध थीं; और,

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं; या

द्वितीयतः--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा किसी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा 10 के अधीन नोटिस जारी किये जाने के दिनांक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं; या

तृतीयतः--(क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिंचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिंचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती हैं;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा।

स्पष्टीकरण--1--इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत--

(क) वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में; या

(ख) खण्ड "द्वितीयतः" में अभिदिष्ट कृषि वर्ष में,

सिंचित किया गया हो।

स्पष्टीकरण—2—किसी निजी सिंचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा ।

स्पष्टीकरण—3—जहां वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी भी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसलें उगाई गई थीं और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसल उगाने योग्य है ।

धारा 5 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जाएं, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—1—किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा धृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार में हों, चाहे उसके नाम में हो या दिखावे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा ।

स्पष्टीकरण—2—यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कृषकीय कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम, या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहे उसे किसी अन्तरण, विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया हो तो, जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लिखित व्यक्ति ही भूमि को धृत किये हुए है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में धृत है ।"

(ख) उप-धारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) कोई इन्टरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज;"

(ग) उप-धारा (3) में—

(1) प्रारम्भिक पैरा में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उप-धारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिये जाएं ।

(2) खण्ड (ग) और (घ) निकाल दिये जाएं ।

(3) स्पष्टीकरण में, खण्ड (त) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख)" रख दिये जाएं ।

(घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि धृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि धृत हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उनके अपने-अपने अनुपात में धृत है ।"

(ङ) उप-धारा (5) में खण्ड (ख) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (घ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (ङ)" रख दिये जायं ।

(च) उप-धारा (6) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण 2 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ पदावली 'दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) किसी वाद में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति को सह-खातेदार के रूप में घोषणा, भले ही ऐसा वाद 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन था अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया था ;

(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा ।"

(छ) उप-धारा (7) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसको स्पष्टीकरण-2 कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण-2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण-1--यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई वाद इस घोषणा के लिये संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बटवारा हो चुका हो तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायेगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व कोई बटवारा नहीं हुआ है।"

धारा 6 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 6 में--

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक, उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा 8 जून, 1973 के पहले से धृत हो;"

(ख) खण्ड (ज) निकाल दिया जाय।

धारा 8 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खण्ड (क)' के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खण्ड (क) या खण्ड (ख)' रख दिये जायें।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

9--जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व, किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियत द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधनों के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 84 सा० (विधायिका) 1136--1975--1,809+50 ss (मे०)।